न्यायालय तहसीलदार, रामगढ़ (अलवर)

सरकार जरिये पटवारी हल्का खेडी

बनाम

जगदीश पुत्र सोहनलाल जाति जाटव ग्राम खानपुरकलां, खेडी तहसील रामगढ जिला अलवर (राज.)

प्रकरण अन्तर्गत धारा 91 राज0 भू0 राजस्व अधिनियम 1956

प्रकरण सं0 01/24 **निर्णय दिनांक 15.02.2024**

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम खानपुरकलां की सरकारी बंजड–प्रथम भूमि के आ0ख0नं0 655 रकबा 0.38है0 के 0.30है0 पर गैर सायल जगदीश पुत्र सोहनलाल जाति जाटव ग्राम खानपुरकलां द्वारा अवैध रूप से गेंहू काश्त कर अतिक्रमण कर लिये जाने पर पटवारी हल्का खेडी द्वारा दिनांक 02.01.2024 को उसके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही किए जाने की रिपार्ट मय ताईद भू0अभि0 निरीक्षक वृत पीपरोली के न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किए जाने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर सायल जगदीश पुत्र सोहनलाल जाति जाटव ग्राम खानपुरकलां को राज0 भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत् नोटिस जारी किया गया। नोटिस की तामील होने के बाद गैर सायल जगदीश नियत तारीख पेशी पर उपस्थित हुआ व अपना लिखित जवाब प्रस्तुत किया। गैर सायल द्वारा राजकीय भूमि पर नाजायज अतिक्रमण किया हुआ है एवं प्रस्तुत जवाब भी संतोषजनक नही है। अतः गैर सायल को किसी भी प्रकार का अनुतोष दिया जाना विधि अनुसार संभव नहीं है। अतः गैर सायल को अतिक्रमी करार दिया जाकर अतिक्रमित रकबे से बेदखल किए जाने के आदेश किए जाते हैं। दण्ड स्वरूप लगान 0.60रू0 का 50 गुना रू0 30/–रूपये मात्र पेनल्टी आरोपित की जाती है। मांग कायमी हेतु **TRA** तह0 हाजा को लिखा जावे। पेनल्टी वसूली, फसल निलामी एवं बेदखली हेतु पटवारी/भू0 अभि0 निरीक्षक को लिखा जाकर वाद तकमील पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

तहसीलदार
रामगढ (अलवर)

रा. लै. स के पृष्ठ स0 185 एवं
कम सं0 21 वर्ष 23-24 पर शास्ती/नीलामी
राशि रू0 30 ... की गई

तहसील राजस्व लेखाकार
तहसील रामगढ (अलवर)